Arbitration, Conciliation and Alternative Disputes Resolution

LL.B. IV Sem

Dr. Yaudhvir Singh
Head of Law faculty
N.A.S. P.G College
Meerut

MANEESHA SHARMA
Law faculty
N.A.S. P.G. College
Meerut

Scanned with CamScanner

माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की प्रकृति एवं विस्तार क्षेत्र का वर्णन कीजिये।

माध्यस्थम् एवं सुलह कार्यवाहियों की प्रकृति -

माध्यस्थम् एवं सुलह कार्यवाहियों की प्रकृति न्यायिक एवं अर्द्ध-न्यायिक होता है इस अधिनियम की धारा 43[1] स्पष्ट रूप से कहती है कि इस अधिनियम के भाग एक के लिए माध्यस्थम कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही के समने है अतः मियाद अधिनियम, 1963 के प्रवधान माध्यस्थम कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

अधिनियम का विस्तार - धारा 2 की उपधारा 2 से 5 इस अधिनियम के विस्तार क्षेत्र को निम्न प्रकार प्रकट करती है -

[1] धारा 2(2) के अनुसार, इस अधिनियम का विस्तार केवल उन्ही माध्यस्थों पर है जिनका स्थान भारत है। दुसरे शब्दो में यह धारा राष्ट्रीय विधियों के परिक्षेत्रीय प्रवर्तन के सिद्धान्त पर आधारित है।

[2] धारा 2(3) के अनुसार, माध्यस्थम् तथा सुलह अधिनियम 1996 का प्रथम भाग उस विधि को प्रभावित नहीं करेगा जिसके अन्तर्गत किसी विशिष्ट विवाद को माध्यस्थम को न सौपने का प्राविधान है। दुसरे शब्दो में यदि किसी विधि के अन्तर्गत यह प्राविधान है कि किसी विशिष्ट विवाद को माध्यस्थम् को नही सौंपा जा सकता तो ऐसे विशिष्ट विवादों को किसी माध्यस्थम को नही सौपा जा सकता तथा यह भाग उस विधि को प्रभावित नही करेगा।

धारा 34[2](ब) यह प्राविधान करती है यदि न्यायालय यह पाता है कि -(i) विवाद के विषय-वस्तु ऐसी है जिसका वर्तमान लागू विधि के अन्तर्गत माध्यस्थम् द्वारा हल किया जाना सम्भव नही है।

इसके अतिरिक्त धारा 48[2][क] और

इन्कार कर सकता है जो —

[i] ऐसे विवाद से सम्बन्धित है जिनका हल भारतीय विधि के अन्तर्गत सम्भव नहीं है।

[ii] भारत की लोक-निति के प्रतिकुल है यदि यद्यपि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का धारा 10 (क) में औद्योगिक विवादों की मध्यस्थ को स्वैच्छिक सन्दर्भ किये जाने का प्राविधान है परन्तु यह धारा यह स्पष्ट कर देती है कि माध्यस्थम् अधिनियम 1940 इस धारा (धारा 10 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 पर लागु नहीं होगी।

विदेशी विनियम अधिनियम FERA 1973 के अन्तर्गत कार्यवाही अर्द्ध आपराधिक प्रकृति की होती है अतः ये मामले भी माध्यस्थम को नहीं सौंपे जा सकते।

इस प्रकार कम्पनी अधिनियम 1965 की धारा 433 के अन्तर्गत न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत कम्पनी के समापन की कार्यवाही सर्व समाज को प्रभावित करती है अतः माध्यस्थम के माध्यम से कम्पनी के समापन के बारे में कोई उपचार प्राप्त नहीं किया जा सकता।

वी० पी० पुष्पा करन ब० पी० सरोजिनी A.I.R 1952 में केरल उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि वैवाहिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कोई निर्णय आज्ञप्ति या आदेश जो किसी व्यक्ति के विधिक चरित्र का निर्धारण करता है एक ऐसा विवाद है जिसका निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए अतः इसे माध्यस्थम को नहीं सौंपा जा सकता।

भारत में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अन्तर्गत अपराधों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है

[i] शमनीय जिनमें पक्षकारों के मध्य सम झौता (सुलह) हो सकता है

(2) न्यायालय की अनुमति से शमनीय — ऐसे अपराध जिनमें न्यायालय अनुमति से सुलह हो सकती है।

[3] ऐसे अपराध जो अशमनीय है जिसका हल पक्षकारों के मध्य सुलह से नहीं हो सकता।

Scanned with CamScanner

टी० वेंकटालक्ष्मी ब० आन्ध्र प्रदेश राज्य 1991 C(Cr.) J74 (AP) में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय धारा 498(क) भारतीय दण्ड संहिता (I.P.C) के अन्तर्गत एक अभियोजन में समझौता या सुलह के लिए आवेदन करने पर यह निर्णय दिया कि यद्यपि धारा 498(क) भारतीय दण्डसंहिता (I.P.C) के अन्तर्गत परिभाषित देहज हत्या का अपराध एक अशमनीय अपराध होते हुए भी पक्षकार सुखी तथा सामान्य वैवाहिक जीवन व्यतीत करे इस प्रयोजन से पक्षकारों की विवाद को समझौते द्वारा हल करने की आज्ञा दण्ड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C) की धारा 482 के अन्तर्गत दी जानी चाहिए तथा उच्च ने जिला न्यायालय को आदेश दिया कि पक्षकारों का न्यायालय में परीक्षण करने के पश्चात् तथा उनके समझौते की स्वैच्छिक प्रकृति को देखते हुए तथा उनके द्वारा अपराध में समझौता करने की याचना के लिए आवेदन-पत्र देने पर न्यायालय प्रश्नगत अपराध में समझौता या सुलह करने की अनुमति प्रदान करे।

[3] धारा 2 के अनुसार - इस अधिनियम का भाग-1 सभी माध्यस्थमों तथा उससे सम्बन्धित कार्यवाहियों पर लागू होगा। परन्तु यह भाग निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा यदि -

[i] भारत तथा दूसरे देश या देशों के मध्य वर्तमान लागू किसी विधि के अन्तर्गत इस भाग को लागू होने के बारे में अन्यथा उपबन्ध किया गया है।

[ii] भारत तथा दूसरे देश या देशों के मध्य किसी करार द्वारा इस भाग को लागू न होने का करार किया गया है।

धारा 61 (2) और भी स्पष्ट रूप से कहती है कि जहाँ किसी प्रचालित कानून के कारण विवाद को सुलह के लिए पेश नहीं किया जा सकता वहाँ यह भाग लागू नहीं होगा।

Scanned with CamScanner